

26.09.2022

पत्रावली आज पेश हुई। गार्ड अधिवक्ता
 श्री राजेश सिंह (आज उपस्थित) केरीकार सरकार
 (उपस्थित) दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।
 गार्ड अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में कंठि
 तथ्यों को हाईकोर्ट रखते हुए गार्ड अधिवक्ता
 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 भारतीय म्याट
 अधिनियम के स्वीकार किया जाकर अधिवक्ता
 द्वारा तहसीलदार दिण्डवाड़ा के मुकदमा संख्या
 19/2021 दिनांक 09.09.2021 के क्विट्टर अधिवक्ता
 प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब की अपेक्षा की
 कुटोना किया जा रहा है निष्पत्ति सूरि बमलास हुआ
 गया। पत्रावली कुंसाल धुआर लेकर नम्बर सिकुम
 ही स्पष्ट श्रुति पत्रावली के साथ नली है।

(पं. भूकर लाल)
 जिला कलेक्टर, सिराही

